न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 296/2023

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. गुमनाराम पुत्र आदाराम 2. दीपाराम पुत्र आदाराम 3. छगनलाल पुत्र गिरधारीराम निवासी– चौधरी बोर्डिंग के पीछे, गांधीपुरा, बालोतरा तहसील– पचपदरा, जिला बाडमेर।		1. जसकी पत्नी बालाराम 2. बालाराम पुत्र पोकरराम निवासी– भाडियावास तहसील पचपदरा। 3. चतुर्भज पुत्र आसूराम निवासी– भाडियावास तहसील पचपदरा। 4. ओमराम पुत्र आसूराम निवासी भाडियावास तहसील पचपदरा। 5. जयप्रकाश पुत्र रामकिशोर गोयल निवासी अग्रवाल कॉलोनी, बालोतरा तहसील पचपदरा। 6. विकास पुत्र पुखराज सोनी निवासी– थोब, तहसील पचपदरा 7. धन्नाराम पुत्र मिश्राराम 8. मिश्राराम पुत्र गुलाबराम 9. दिशादेवी पत्नी धनाराम निवासीगण– माडपुरा तहसील पचपदरा। 10. प्रेमप्रकाश पुत्र गिरधारीराम 11. रमेश गोदारा पुत्र गिरधारीराम 12. लिखमाराम पुत्र दुर्गाराम जाट निवासी–हिमताणियां, भाम्बुओं की ढाणी, भाण्डियावास तहसील पचपदरा 13. पूनमाराम पुत्र भेराराम निवासी– भाणा मगरा, तहसील–सिणधरी 14. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के द्वारा मुकदमा संख्या 314/2021 श्रीमती जसकी वगैराह बनाम चतुर्भुज वगैराह में दिनांक 05.12.2022 को पारित किया गया।

उपस्थितीः—

1. श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री एस.एम. परिहार, सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्तागण रेस्पो0 संख्या 02 की ओर से।
3. श्री सूर्यप्रकाश, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

4. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 14 की ओर से।
5. रेस्पो0 संख्या 1,3,4,6 से 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 29 अक्टूबर, 2025

1. अपीलान्ट्गण ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 314/2021 श्रीमती जसकी वगैराह बनाम चतुर्भुज वगैराह में अपीलाधीन आदेश पारित दिनांक 05.12.2022 से व्यथित होकर यह प्रथम अपील दिनांक 28.12.2022 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। बहस उभय पक्षकारान् की सुनी गई।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.12.2021 को धारा 111. 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 856/1 रकबा 16 बीघा भूमि ग्राम हिमताणियों भांभूओ की ढाणी, तहसील पचपदरा में आई हुई है जिसके पडौस में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 के खेत आये हुए है। उक्त भूमि की सीमाओं को लेकर होने वाले विवाद को उभय पक्षकारान ने सहमति से निपटाना चाहा परन्तु रेस्पोडेन्ट्स ने समझाईश पर कोई ध्यान नहीं दिया उल्टे अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के चारो तरफ बनी माठबन्दी को तोड कर नष्ट करने तथा अतिक्रमण करने हेतु आमादा हुए। ऐसे में उक्त विवाद को हमेशा के लिये समाधान करवाने हेतु अपीलान्ट की ओर से उक्त भूमि/खेतों की मौके पर स्थाई मुस्तकिल बिन्दू से नेखम पैमाइश जरिये पत्थरगढी करवाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन दिनांक 02.12.2021 किया गया था। इससे पूर्व तहसीलदार, पचपदरा के आदेश दिनांक 29.11.2021 की पालना में सीमाज्ञान भी दिनांक 30.11.2021 को करवाया गया। अतः प्रश्नगत भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रार्थना पत्र में दर्शायी गई भूमि खसरा नं. 856/1 रकबा 16 बीघा व खसरा नं. 868/1 रकबा 37 बीघा 11 बिस्वा मौजा हिमताणियों भांभूओ की ढाणी, दोनो खसरे मूल खसरा सं. 1 से ही बने है जिनकी पुराने नक्शा लट्ठा में तरमीम कब्जे के अनुसार ही की गई है परन्तु बाद में सायलान ने पटवारी हल्का से मिलकर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के तरमीम बदल कर गलत तरमीम कर दी जिसकी दुरूस्ती/शुद्धि किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2013 पेश किया गया था, जो कि लम्बित चल रहा है, जिसमें मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का आदेश किया गया है, जो प्राप्त हो चुकी है। ऐसे में तरमीम शुद्धि के लम्बित रहते

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किसी प्रकार का सीमाज्ञान व नेखमबन्दी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, जिसको निरस्त किया जावें।

5. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2013 पर अपीलार्थीगण के जवाब एवं आपत्तियों पर एवं तरमीम शुद्धि के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं दिया तथा विधिक प्रावधानों की अनिवार्य अनदेखी कर अपने आदेश दिनांक 27.12.2021 के द्वारा पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 27.12.2021 के अनुसार मौके पर तमाम पक्षकारान को नोटिस जारी किया गया कर सूचित कर पैमाइश कर नेखमबन्दी की जावे, परन्तु तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा अपीलान्टस व अन्य पक्षकारान को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी। अपीलांट पिछले तीन दशक से उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा पूर्व में उक्त खसरा न. 868/1 की पेमाईश की तरमीम कर दी गई थी लेकिन रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 ने सम्बन्धित पटवारी हल्का से मिली भगत कर तरमीम को अपने हिसाब से करवा दिया। उक्त पूर्व की तरमीम को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा आदिनांक तक निरस्त व संशोधित नही किया गया है।

6. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2021 के विरूद्ध एक प्रथम अपील संख्या 32/2022 अनवान गुमानाराम बनाम चतुर्भज वगैराह न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा के द्वारा उक्त अपील को आदेश दिनांक 7.02.2022 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 7.2.2022 के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 1037/2022/बाड़मेर प्रस्तुत की गई जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा आदेश दिनांक 29.9.2022 को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के आदेश दिनांक 27.12.2021 को निरस्त कर दिया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मामला प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्चतर न्यायालयो के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना करवाये बिना तथा निरस्त किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2021 व दिनांक 7.1.2022 तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 29.12.2021, 30.12.2021 एवं 31.01.2022 को यथावत रखे जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.12.2022 पारित कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त कार्यवाही नये सिरे से करके नया निर्णय करने का आदेश पारित कर दिया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व अभिलेख के विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है।

8. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिप्रेषित मामले में अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने, साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना सीधा ही आदेश पारित कर अपने पूर्व निर्णय दिनांक 27.12.2021 को यथावत रख दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलार्थीगण के तरमीमशुद्धि के प्रार्थनापत्र को बिना कोई न्यायसंगत कारण दिये ही खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अलग से अपील प्रस्तुत कर दी गई जिसमें दिये गये आधारों के आधार पर अपीलार्थीगण की उक्त अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक ध्यान दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो कि प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों एवं न्याय नियम के खिलाफ होने से निरस्त करने योग्य है।

9. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 02 व 05 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.12.2021 को धारा 111. 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उनकी खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 856/1 रकबा 16 बीघा भूमि ग्राम हिमताणियों भांभूओ की ढाणी, तहसील पचपदरा में आई हुई है जिसके पडौस में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 के खेत आये हुए है। उक्त भूमि की सीमाओं को लेकर होने वाले विवाद को उभय पक्षकारान ने सहमति से निपटाना चाहा परन्तु रेस्पोडेन्ट्स ने समझाईश पर कोई ध्यान नहीं दिया उल्टे अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के चारो तरफ बनी माठबन्दी को तोड़ कर नष्ट करने तथा अतिक्रमण करने हेतु आमादा हुए। ऐसे में उक्त विवाद को हमेशा के लिये समाधान करवाने हेतु अपीलान्ट की ओर से उक्त भूमि/खेतों की मौके पर स्थाई मुस्तकिल बिन्दू से नेखम पैमाइश जरिये पत्थरगढी करवाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया था। रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा इससे पूर्व तहसीलदार, पचपदरा के आदेश दिनांक 29.11.2021 की पालना में अपने खेत की भूमि का सीमाज्ञान भी दिनांक 30.11.2021 को करवाया गया। अतः प्रश्नगत भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

10. रेस्पो0 संख्या 1 व दो के द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन दिनांक 02.12.2021 के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना लिखित में जवाब एवं प्रारम्भिक आपत्तियॉ भी पेश की गई थी। तत्पश्चात उभय पक्षकारान को सुने जाने के उपरान्त रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 27.12.2021 के द्वारा ख0सं0 856/1 रकबा 16 बीघा एवं ख0सं0 868/1 रकबा 37.11 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया गया था, कच्ची नेखमबन्दी करने से पूर्व स्वयं तहसीलदार द्वारा एक पैमाइश टीम गठित कर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर सूचित कर निश्चित तिथि एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 7.9.1992 के मद्धेनजर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी करने के निर्देश भी दिये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार, कल्याणपुर के द्वारा ख0सं0 856/1 रकबा 16 बीघा की मौका फर्द दिनांक 29.12.2021 व 30.12.2021 के अनुसार कच्ची नेखमबन्दी कर दी गई, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 7.1.2022 को कन्फर्म कर दिया गया था। इस प्रकार अपीलान्ट के द्वारा पूर्व में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील के पेश होने की

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 13.1.2022 से पूर्व ही नेखमबन्दी की कार्यवाही सम्पादित कर दी गई थी, जो कि पूर्ण रूप से उचित होने एवं विधि के अनुकूल होने से यथावत रखी जाने योग्य थी।

11. रेस्पो0 संख्या 02 व 05 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 314/2021 अनवान जसकी वगैराह बनाम चतुर्भज वगैराह में पारित आदेश दिनांक 5.12.2022 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 28.12.2022 को इस आधार को लेकर पेश की गई है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का मौके पर कब्जा काश्त नहीं हो रखा है तथा दूसरा, धारा 131 व 136 का प्रार्थनापत्र विचाराधीन हो रखा था, तो ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय को धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित नहीं करना चाहिये था। इसके अलावा उन्हें सुनवाई व साक्ष्य का मौका/अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

12. अब चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस् के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2013 अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 153/2013 अनवान गिरधारी पुत्र चेना के का0मु0 वगैराह बनाम बालाराम पुत्र पोकरराम वगैराह को दिनांक 5.12.2022 को ही निर्णित करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है और इसी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से पेश धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को दिनांक 05.12.2022 को स्वीकार किया गया है यानि ''रेकर्डेड खातेदार टीनेन्ट को अपनी भूमि का सीमा का ज्ञान करने एवं ऐसी भूमि की सीमाओं पर सीमा चिन्ह/पत्थरगढी के जरिये पक्की सीमा कायम करने का अधिकार प्राप्त है तथा कोई भी खातेदार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी एवं नक्शा में खतौनी के रकबे के अनुपात में दर्ज तरमीम कब्जा काश्त कायम कर सकता है।'' इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.12.2022 के द्वारा ''पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 व दिनांक 7.1.2022 तथा उनकी पालना में मौके पर की गई पत्थरगढी की कार्यवाही (नाप, सीमाज्ञान) फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 29.12.2021, 30.12.2021, 31.12.2021 के सम्बन्ध में कार्यवाही में कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, पूर्व आदेशों, क्रियान्विति को यथावत रखा जाता है।'' जो पूर्ण रूप से उचित एवं विधि के अनुकूल है। इस प्रकार अपीलान्ट्स के द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जावें।

13. रेस्पो0 संख्या 02 व 05 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट इस अपील में ऐसे कोई नये तथ्य या साक्ष्य उजागर नहीं कर पाये है जिससे उनके पूर्व में पेश की गई अपील में किये गये कथनों को बल मिलता हो। अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है तथा उनकी ओर से अधिवक्ता भी नियुक्त हुए है तथा दोनों पक्षकारान की विस्तृत बहस सुने जाने के उपरान्त ही दिनांक 5.12.2022 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रेस्पो0 संख्या एक व दो

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है। अतः अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

14. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन एवं किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों/अपील इत्यादि का बगौर अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा ने धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत राजस्व प्रकरण संख्या 314/2021 अनवान जसकी वगैराह बनाम चतुरभुज वगैराह में पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष एक प्रथम अपील संख्या 32/2022 अनवान गुमानाराम बनाम चतुर्भज वगैराह न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय हाजा के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया। तत्पश्चात अपीलार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 1037/2022/बाड़मेर प्रस्तुत की गई जिसे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.9.2022 को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के आदेश दिनांक 27.12.2021 को निरस्त कर दिया गया।

15. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 वर्तमान अपीलान्ट गुमानाराम व दीपाराम के अधिवक्तागण उपस्थित हुए। शेष पक्षकारान अनुपस्थित रहे। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनने तथा उच्चतर न्यायालयो के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना करते हुए अपीलान्ट की ओर से पेश धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र संख्या 153/2013 को दिनांक 05.12.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पहले निर्णित करते हुए अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

16. न्यायालय हाजा के समक्ष अन्य अपील संख्या 297/2023 अनवान गुमानाराम वगैराह बनाम सरकार वगैराह में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2022 को इस आधार पर यथावत रखा गया है कि अपीलान्टस् के द्वारा अपने द्वारा क्रय की गई भूमि से अधिक भूमि की राजस्व लट्ठा ट्रेस में तरमीम शुद्धि करवाना चाहते है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होना मानते हुए उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2013 को खारिज किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के अनुरूप समग्र रूप से परीक्षणोंपरान्त एवं मौके एवं राजस्व रिकार्ड की जॉच करवाये जाने के उपरान्त पारित किये गये आदेश दिनांक 05.12.2022 को उचित मानते हुए न्यायालय हाजा ने अपीलान्टस् की ओर पेश अपील संख्या 297/2023 को निर्णय दिनांक 29.10.2025 के द्वारा खारिज किया जा चुका है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

17. अपीलान्टस् के द्वारा प्रस्तुत इस अपील में मुख्य रूप से यही आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.11.2022 में अपीलान्टस् अधिवक्ता का उपस्थित होना अंकित हो रखा है। इसके अतिरिक्त उनकी ओर से पूर्व में यह आपत्ति की गई थी कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 131,136 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रकरण विचाराधीन रहा था, अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रकरण को भी अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करते हुए निर्णित कर दिया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील संख्या 297/2023 को भी खारिज किया जा चुका है। ऐसे में इस अपील का मुख्य आधार अपीलान्टस् के ख0सं0 863/1 रकबा 37.11 बीघा भूमि की राजस्व लट्ठा ट्रेस में तरमीम शुद्धि का रहा है जिसे भी निर्णित किया जा चुका है।

18. इस प्रकार अपीलान्टस् अपनी खरीद की गई अधिकृत व खातेदारी में आ रही रकबा भूमि की विधिवत तरमीम करवाने हेतु स्वतंत्र है। अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये परिशिष्ठ 'अ' बनाकर एबीसीडी मार्क किया जाकर किस आधार पर व प्रमाण के पेश किया गया था, इसका कोई उल्लेख नहीं कर पाये है, ऐसे में मात्र मौखिक कथनों के आधार पर अपने हक–हिस्से से अधिक भूमि की तरमीम किस प्रकार से करवाने के अधिकार रखते है।

19. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.12.2022 में यह अंकित किया गया है कि ''रेकर्डेड खातेदार टीनेन्ट को अपनी भूमि का सीमा का ज्ञान करने एवं ऐसी भूमि की सीमाओं पर सीमा चिन्ह/पत्थरगढी के जरिये पक्की सीमा कायम करने का अधिकार प्राप्त है तथा कोई भी खातेदार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी एवं नक्शा में खतौनी के रकबे के अनुपात में दर्ज तरमीम कब्जा काश्त कायम कर सकता है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में मौके पर सीमाज्ञान नाप पत्थरगढी की गई, की फर्दो के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि विप्रार्थीगण यानि वर्तमान अपीलान्टस् अपनी खातेदारी का रकबा जो जमाबन्दी में दर्ज है, से अधिक रकबे पर कब्जा करना चाहता है, कोई भी खातेदर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खतौनी व नक्शा में खतौनी के रकबे के अनुपात में दर्ज तरमीम कब्जा काश्त कर कायम कर सकता है।''

20. इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.12.2022 के द्वारा ''पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 व दिनांक 07.1.2022 तथा उनकी पालना में मौके पर की गई पत्थरगढी की कार्यवाही (नाप, सीमाज्ञान) फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 29.12.2021, 30.12.2021, 31.12.2021 के सम्बन्ध में कार्यवाही में कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, पूर्व आदेशों, कियान्विति को यथावत रखा जाता है।'' इस प्रकार विधि की दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा अपीलान्ट की अपील आधारहीन होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हो सकती है। अतः

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

21. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर